

दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एंव अन्य बनाम भारत संघ एंव अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुसार)

राजनैतिक दल का नाम: इंडियन नेशनल कांग्रेस

निर्वाचन का नाम: म.प्र. राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम: म.प्र.

1.	2.	3.	4.	5.		
क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	लंबित आपराधिक मामलों	आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के विषय के संबंध में विवरण		
1			न्यायालय का नाम, मामले की सं. एवं मामलों की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धाराएं और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण	न्यायालय का नाम एवं आदेश(शो) की तारीख	अपराध(धो) और अधिरोपित किए गए दण्ड का विवरण
2	सुरेंद्र सिंह बघेल	कुशी क्रमांक 198 (अ.ज. जा)	शून्य	अप.क्र. 622/2022 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341 एवं 143, माननीय श्री पांचीलाल मेड़ा, विधायक धरमपुरी के नेतृत्व में कारम डेम फुट जाने की जांच का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री/राज्यपाल को देने के लिए भोपाल में एकीत्रित होने पर उक्त असत्य प्रकरण राजनैतिक दबाव में पुलिस थाना कोहेफिजा भोपाल में दर्ज किए जाने की सूचना पत्र दिनांक 13.09.2023 को प्राप्त हुआ। किन्तु चालान प्रस्तुत नहीं हुआ है। विवेचनाधीन है।	शून्य	शून्य
3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

'राज्य सभा के निर्वाचन और विधान सभा सदस्यों द्वारा, विधान परिषद् के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

- टिप्पणी: 1. उपर्युक्त सूचना प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए राज्य-वार प्रकाशित की जाएगी।
2. समाचार-पत्रों में विषयवस्तु कम से कम 12 फोन्ट आकार में प्रकाशित की जानी चाहिए।

